

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी चतरलाल उर्फ चैतन सुमार पटेल विपक्षी रामजी

किस्म मुकदमा - 136 भूराजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 211 / 2021

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक <u>22.12.21</u>.....</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प <u>पालनार्थ</u> में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र खाता दुरुस्ती का पेश करने पर दर्ज किया गया।</p> <p>प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड मौजा <u>पालनार्थ</u> खाता संख्या <u>606, 608</u> में प्रार्थी का नाम <u>चतरलाल</u> पिता <u>रामा</u> अंकित है जिसे संशोधन करा <u>चतरलाल उर्फ चैतन सुमार पटेल</u> पिता <u>रामजी</u> अंकित किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>पटवारी हल्का <u>पालनार्थ</u> भूअ.निरीक्षक <u>पालनार्थ</u> से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मावली द्वारा प्रार्थी का नाम <u>चतरलाल</u> पिता <u>रामा</u> निवासी <u>पालनार्थ</u> के बजाय <u>चतरलाल उर्फ चैतन सुमार पटेल</u> पिता <u>रामजी</u> संशोधन किया जाने की अनुशंषा की गई है।</p> <p>अतः पटवारी, भूअ. निरीक्षक एवं तहसीलदार मावली की अनुशंषा अनुसार मौजा <u>पालनार्थ</u> पटवार हल्का <u>पालनार्थ</u> की खाता संख्या <u>606, 608</u> में प्रार्थी का नाम <u>चतरलाल</u> पिता <u>रामा</u> के बजाय <u>चतरलाल उर्फ चैतन सुमार पटेल</u> पिता <u>रामजी</u> संशोधन किया जावे। आदेश जारी किया जाकर तहसीलदार मावली को पालनार्थ भिजवाई जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय सुनाया गया।</p>	